

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक/5 मार्च, 2024

विषय- अन्य पिछड़ी जाति OBC (पूर्वदशम एवं दशमोत्तर) तथा ई0बी0सी0 छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन दिशा-निर्देशों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4046/स0क0/PM-YASASVI/छात्रवृत्ति/2022-23, दिनांक 24 दिसम्बर, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार की नई गाइडलाईन के अनुसार पूर्वदशम, दशमोत्तर एवं ई0बी0सी0 छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान करने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-787/XVII-4/2017-01(82)/2014, दिनांक 01 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-1162/XVII(1)-3/2005-सी.एम.-(05)/2005, दिनांक 03 सितम्बर, 2005 एवं शासनादेश संख्या-1165/XVII-2/19-01(04)/2019, दिनांक 05 नवम्बर, 2019 में ओ0बी0सी0 एवं ई0बी0सी0, पूर्वदशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं में भारत सरकार द्वारा PM Young Achievers Scholarship Awards Scheme for Vibrant India for OBC's and others (PM YASASVI) योजनान्तर्गत, योजनावधि 2021-22 से 2025-26 हेतु निर्गत नवीन दिशा-निर्देशों के क्रम में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

योजना का नाम	वर्तमान प्राविधान	प्रतिस्थापित प्राविधान
अन्य पिछड़ी जाति (OBC) पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना	शासनादेश संख्या-1165/xvii-2/19-01(04)/2016 दिनांक 05 नवम्बर, 2019 में अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम (कक्षा 01 से 10) हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आने वाले छात्र-छात्राओं के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 2,50,000/- निर्धारित की गई हैं।	PM Young Achievers Scholarship Awards Scheme for Vibrant India for OBCs and others (PM-YASASVI) योजना में पूर्वदशम (कक्षा 09 से 10) हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आने वाले छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 2,50,000/- निर्धारित की जाती है।

	<p>शासनादेश संख्या-1165/xvii-2/19-01(04)/2016 दिनांक 05 नवम्बर, 2019 में अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल में पंजीकृत कक्षा 03 से 10 तक के हॉस्टलर एवं 01 से 10 तक डे-स्कॉलर छात्र-छात्राओं को योजनान्तर्गत केन्द्रांश के बराबर धनराशि ही राज्यांश के रूप में व्यय/भुगतान की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त कुल धनराशि की सीमान्तर्गत ही छात्रों को लाभ प्रदान किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा जनपदवार छात्र/छात्राओं की संख्या का निर्धारण करते हुए राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल में पंजीकृत छात्रों को पात्रता के अनुरूप छात्रवृत्ति का भुगतान सर्वप्रथम निर्धनतम छात्र से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में योजना में छात्रवृत्ति भुगतान से अवशेष रहें छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का अवशेष (ऐरियर) का भुगतान आगामी वर्षों में नहीं किया जायेगा। छात्रवृत्ति भुगतान की यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रभावी रहेगी।</p> <p><b>छात्रवृत्ति दर-</b></p> <p>कक्षा 03 से कक्षा 10 तक के सभी हॉस्टलर छात्र-छात्राओं को रू0 500 प्रतिमाह (10 माह की छात्रवृत्ति) एवं कक्षा 01 से 10 तक डेस्कॉलर छात्र-छात्राओं को रू0 100 प्रतिमाह (10 माह की छात्रवृत्ति) एवं समस्त छात्र-छात्राओं को रू0 500 प्रतिवर्ष तदर्थ अनुदान देय होगा।</p> <p>वित्तीय वर्ष के अन्त में योजना में छात्रवृत्ति भुगतान से अवशेष (ऐरियर) का भुगतान आगामी वर्षों में देय ही होगा।</p>	<p>कक्षा 09 व 10 के छात्र-छात्राओं को पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति के रूप में रू0 4000/- प्रतिवर्ष दिया जायेगा। कक्षा 01 से 08 के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का उल्लेख नहीं है, और न ही हॉस्टलर एवं डे-स्कॉलर के सम्बन्ध में जिक्र किया गया है। छात्रवृत्ति भुगतान में 90 प्रतिशत भारत सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान होगा। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।</p>
<p>अन्य पिछड़ी जाति</p>	<p>शासनादेश संख्या- 1165/xvii-2/19-01(04)/2016 दिनांक 05</p>	<p>PM Young Achievers Scholarship Awards Scheme for Vibrant India for OBCs and others (PM-YASASVI) योजना में संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति</p>

9



(OBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना	नवम्बर, 2019 में अन्य पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आने वाले छात्र-छात्राओं के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय ₹0 1,50,000/- निर्धारित की गई हैं। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय एलोकेशन की सीमान्तर्गत ही धनराशि व्यय करते हुए पात्र छात्रों को लाभ दिया जायेगा। राज्यांश के रूप में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। <b>छात्रवृत्ति की दरें-</b> <b>ग्रुप ए-</b> हॉस्टलर स्कालरशिप- ₹0 750 डे- स्कालरशिप- ₹0 350 <b>ग्रुप बी-</b> हॉस्टलर स्कालरशिप- ₹0 510 डे- स्कालरशिप- ₹0 335 <b>ग्रुप सी-</b> हॉस्टलर स्कालरशिप- ₹0 400 डे- स्कालरशिप- ₹0 210 <b>ग्रुप डी-</b> हॉस्टलर स्कालरशिप- ₹0 260 डे- स्कालरशिप- ₹0 160	योजनान्तर्गत आने वाले छात्र-छात्राओं के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय ₹0 2,50,000/- निर्धारित की जाती है। छात्रवृत्ति भुगतान में 90 प्रतिशत भारत सरकार का तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान होगा। छात्रवृत्ति का भुगतान केवल सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को किया जायेगा। श्रेणीवार छात्रवृत्ति का निर्धारण निम्नानुसार हैं-																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Category of courses</th> <th colspan="3">Yearly (in Rs)</th> </tr> <tr> <th>Academic Allowance</th> <th>Tuition Fee</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Group 1. Degree and Post Graduate level professional courses</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>20000</td> </tr> <tr> <td>Group 2. Other professional courses leading to Degree, Diploma, Certificate</td> <td>8000</td> <td>5000</td> <td>13000</td> </tr> <tr> <td>Group 3. Graduate and Post Graduate courses not covered under Group I &amp; Group II</td> <td>6000</td> <td>2000</td> <td>8000</td> </tr> <tr> <td>Group 4. All post-matriculation (Post Class X level) non-degree courses</td> <td>5000</td> <td>0</td> <td>5000</td> </tr> </tbody> </table>		Category of courses	Yearly (in Rs)			Academic Allowance	Tuition Fee	Total	Group 1. Degree and Post Graduate level professional courses	10000	10000	20000	Group 2. Other professional courses leading to Degree, Diploma, Certificate	8000	5000	13000	Group 3. Graduate and Post Graduate courses not covered under Group I & Group II	6000	2000	8000	Group 4. All post-matriculation (Post Class X level) non-degree courses	5000	0	5000
		Category of courses	Yearly (in Rs)																							
			Academic Allowance	Tuition Fee	Total																					
		Group 1. Degree and Post Graduate level professional courses	10000	10000	20000																					
Group 2. Other professional courses leading to Degree, Diploma, Certificate	8000	5000	13000																							
Group 3. Graduate and Post Graduate courses not covered under Group I & Group II	6000	2000	8000																							
Group 4. All post-matriculation (Post Class X level) non-degree courses	5000	0	5000																							
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु (EBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आने वाले छात्र-छात्राओं के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय ₹0 1,00,000/- निर्धारित की गई हैं। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय एलोकेशन की सीमान्तर्गत ही धनराशि व्यय करते हुए पात्र छात्रों को लाभ दिया जायेगा। राज्यांश के रूप में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।	EBC दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आने वाले छात्र-छात्राओं के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय ₹0 2,50,000/- निर्धारित की जाती है। योजना का लाभ सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ही OBC दशमोत्तर के समान छात्रवृत्ति का लाभ दिया जायेगा। छात्रवृत्ति भुगतान में 90 प्रतिशत भारत सरकार का तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान होगा।																								
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु (EBC) पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना	पूर्व में आर्थिक रूप से कमजोर (EBC) पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना संचालित नहीं हैं।	अन्य पिछड़ी जाति (OBC) पूर्वदशम छात्रवृत्ति के समान ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) छात्रवृत्ति भी दी जायेगी, जिसमें भारत सरकार का 90 प्रतिशत व राज्य सरकार का 10 प्रतिशत अंशदान रहेगा।																								

*fm*


3- राज्य सरकार द्वारा योजनानुसार फन्डिंग पैट्रन के अनुरूप ही व्ययभार वहन किया जायेगा, इससे इतर किसी भी प्रकार के व्ययभार का वहन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा। फन्डिंग पैट्रन की सीमान्तर्गत ही छात्रों को लाभान्वित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में इंगित शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उनके शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

5- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित ई0 संख्या-1/192230/2024, दिनांक 21 फरवरी, 2024 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


  
(बृजेश कुमार संत)  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- (1)/XVII-2/2024-10(12)/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव-सचिव, तकनीकी शिक्षा/उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को महोदयों के संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण, देहरादून।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, समाज कल्याण विभाग, देहरादून।
14. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(महावीर सिंह)  
संयुक्त सचिव।